न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 11/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
कान्ति पुत्र वेना जाति भील तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. करसन 2. पोपट पिसरान हंसाराम 3. बबीदेवी पत्नि हंसाराम 4. मफी पुत्री हंसाराम 5. डाईदेवी पत्नि वेना 6. रमेश पुत्र वेना 7. रेशमी पुत्री वेना जातियान भील निवासीयान मालवाड़ा 8. जयन्तिलाल पुत्र मफाराम जाति भील निवासी रोड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 9. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा 10. उप पंजीयक,रानीवाड़ा 11. हल्का पटवारी पटवारी हल्का सुरजावाड़ा तहसील रानीवाड़ा 12. सपाराम पुत्र उकाजी जाति भील निवासी कुशलापुरा तहसील भीनमाल जिला सांचौर 13. करताराम पुत्र वीराराम जाति भील निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सैन।
2. प्रतिवादी संख्या 8, 12, 13 के अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

: –: निर्णय :–

दिनांक 22.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 528 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 737 रकबा 0.83 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 1.91 हैक्टेयर की आई हुई है।

उक्त विवादीत आराजी में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उक्त विवादीत आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 टालमटोल करते रहे। आज से एक माह पूर्व दिनांक 17.12.2020 को वादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी में काश्त कार्य कर रहा था तो उस समय प्रतिवादी संख्या 5 से 8 मौके पर आये तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को कहा कि आप उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवा दो तो प्रतिवादी संख्या 5 से 8 ने वादी को कहा कि हम हमारे हिस्से की उक्त आराजी को बैचार कर देंगे तथा अच्छी किस्म को आराजी पर क्रेता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:35:09 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा सुपुर्द कर देंगे तथा तथा तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देंगे तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को कहा कि पहले उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा लो उसके बाद आप आराजी का बैचार कर देना परन्तु प्रतिवादी संख्या 5 से 8 नहीं माने। उसके बाद दिनांक 25.12.2021 को वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कार्य कर रहा था तो प्रतिवादी संख्या 5 से 8 मौके पर आये तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने एलानिया धमकी दी कि हमने हमारे हिस्से की आराजी प्रतिवादी संख्या 8 को बेचान कर दी हैं, अब हम प्रतिवादी संख्या 8 व 11 से मिलावट कर उक्त आराजी का नामान्तरकरण भी उक्त प्रतिवादी संख्या 8 के नाम भरवा देंगे तथा प्रतिवादी संख्या 8 ने कहा कि उक्त आराजी को मैंने खरीद कर लिया हैं तथा अब मैं उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम से करवा कर अच्छी किस्म की आराजी पर कब्जा कर उक्त आराजी को आगे किसी अजनबी क्रेता को बैचान कर दूंगा तथा प्रतिवादी संख्या 10 से मिलावट कर उक्त आराजी के बैचान/अन्तरण का दस्तावेज अजनबी क्रेता के नाम करवा दूंगा तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 से मिलावट कर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अजनबी क्रेता के नाम करवा कर तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर दूंगा। इसलिए वादी उक्त विवादीत आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने तथा प्रतिवादीगण के उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से यह दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश हैं।

अतः मौजा मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 528 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 737 रकबा 0.83 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 1.91 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर वादी को 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को प्रत्येक को 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 को 3/5 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को तहरीर जारी की जावे। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सादीर फरमाई जावे कि सरहद मौजा मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 528 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 737 रकबा 0.83 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 1.91 हैक्टेयर में वादी के बंट व हिस्से की आराजी में वादी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल या बाधा पैदा करावे।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 10, 11, की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 8, 12 व 13 की ओर से अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 10 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा विवादीत आराजी में क्रमश 3/4 हिस्सा व 1/20 हिस्सा खरीदने पर जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रतिवादी पक्ष में संयोजित किया गया।

3. दिनांक 10.01.2024 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 8, 12, 13 के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा मा[illegible] खसरा नम्बर 528, 737 रकबा क्रमश 1.08, 0.83 हेक्टेयर जूमले रकबा 1.91 हेक्टेयर [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के बिच हक हिस्से व कब्जे काश्त [illegible] रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्रा[illegible]क डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested

को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2024/32 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/115 दिनांक 12.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया। वादी अधिवक्ता के बहस पर तथ्यों पर मनन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	करताराम पुत्र वीराराम सा. दौलतपुरा जाति भील	528	1.08	0.0955	बा.दो.	हरा	.2865
2.	सपाराम पुत्र उकाजी जाति भील सा. कुशालपुरा तहसील भीनमाल	528	1.08	.9845	बा.दो.	लाल	2.9535
		737	0.83	.4480			1.3440
3	कान्ति पुत्र वेना जाति भील सा. देह खातेदार	737	0.83	0.0955	बा.दो.	काला	0.2865
4	करसन पुत्र हंसाराम मफी पुत्री हंसाराम बबी देवी पत्नि हंसाराम जाति भील सा. देह खातेदार	737	0.83	.2865	बा.दो.	आसमानी	.8595

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 से [illegible] सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
कान्ति पुत्र वेना जाति भील तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर	**बनाम**	1. करसन 2. पोपट पिसरान हंसाराम 3. बबीदेवी पत्नि हंसाराम 4. मफी पुत्री हंसाराम 5. डाईदेवी पत्नि वेना 6. रमेश पुत्र वेना 7. रेशमी पुत्री वेना जातियान भील निवासीयान मालवाड़ा 8. जयन्तिलाल पुत्र मफाराम जाति भील निवासी रोड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 9. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा 10. उप पंजीयक,रानीवाड़ा 11. हल्का पटवारी पटवारी हल्का सुरजावाड़ा तहसील रानीवाड़ा 12. सपाराम पुत्र उकाजी जाति भील निवासी कुशलापुरा तहसील भीनमाल जिला सांचौर 13. करताराम पुत्र वीराराम जाति भील निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 24/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 8, 12, 13 की ओर अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 10, 11 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिब मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	करताराम पुत्र वीराराम सा. दौलतपुरा जाति भील	528	[illegible]	0.0955	बा.दो.	हरा	.2865

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested

2.	सपाराम पुत्र उकाजी जाति भील सा. कुशालपुरा तहसील भीनमाल	528	1.08	.9845	बा.दो.	लाल	2.9535
		737	0.83	.4480			1.3440
3	कान्ति पुत्र वेना जाति भील सा. देह खातेदार	737	0.83	0.0955	बा.दो.	काला	0.2865
4	करसन पुत्र हंसाराम मफी पुत्री हंसाराम बबी देवी पत्नि हंसाराम जाति भील सा. देह खातेदार	737	0.83	.2865	बा.दो.	आस मानी	.8595

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12, 13 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	2	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested